



मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग  
पांचवाँ तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कॉलोनी,  
बिहून मार्केट, भोपाल 462016  
फोन: 0755-2430154, 2463585 फैक्स-0755-2981055  
वेबसाइट: [www.mperc.in](http://www.mperc.in) ई-मेल: [secretary@mperc.nic.in](mailto:secretary@mperc.nic.in)

No.MPERC/D(T)/2022/1224

दिनांक: 08/06/2022

सर्वजनिक सूचना

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर (एमपीपीटीसीएल) द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 तथा 64 सहपठित, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण-टैरिफ अवधारणा संबंधी नियम एवं शर्तें) विनियम, (पुनरीक्षण-IV) 2020, {आर जी. 28-(IV) 2020} के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 का पारेषण टैरिफ सत्यापित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे कि याचिका क्रमांक 01/2022 पंजीकृत किया गया है।

एमपीपीटीसीएल की वर्ष 2020-21 हेतु पारेषण प्रणाली की उपलब्धता 99.60% एवं पारेषण हानि 2.62% रही है। एमपीपीटीसीएल की वर्ष 2020-21 की राज्यीय पारेषण क्षमता 20084 मेगावाट को तीनों विद्युत वितरण कंपनियों, एमपीआईडीसी (एसईजेड, पीथमपुर) तथा पश्चिम मध्य रेल्वे को आवंटित किया गया है। एमपीपीटीसीएल द्वारा विषयांकित याचिका में, परीक्षित लेखा के अनुसार, वर्ष 2020-21 हेतु रू. 155.26 करोड़ की सत्यापित राशि को निम्नलिखित लागत मदों में अनुज्ञेय किये जाने बाबत अनुरोध किया गया है।

(रू. करोड़ में)

सरल क्रमांक	विवरण	बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दि. 19.05.2021 के द्वारा अनुमोदित ए.आर.आर.	प्रस्तुत पुनरीक्षित याचिका में वित्तीय वर्ष 2020-21 परीक्षित लेखा के आधार पर	सत्यापित राशि (4-3)
1	2	3	4	5
1.	संचालन एवं संधारण व्यय	608.41	612.28	3.87
2.	सेवान्त प्रसुविधा नगद व्यय	1973.01	2161.80	188.79
3.	अवमूल्यन	509.18	472.36	-36.82
4.	ऋण पर ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	166.62	191.93	25.31
5.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	71.17	72.67	1.50
6.	अंश पूंजी पर प्रतिलाभ	552.03	544.30	-7.73
7.	पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के लाइसेंसी को किये जाने वाले भुगतान	37.80	34.73	-3.07
8.	पीजीसीआईएल को देय ओ.पी.जी. डब्ल्यू. प्रभार	1.18	0.73	-0.45
9.	म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को देय शुल्क	0.86	0.00	-0.86
10.	कर एवं शुल्क (म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को देय शुल्क के अतिरिक्त)	2.05	2.86	0.81
11.	सुरक्षा व्यय	26.94	14.85	-12.09
12.	कुल	3949.25	4108.51	159.26
13.	नॉन टैरिफ आय (-)	24.00	28.00	4.00
14.	कुल योग	3925.25	4080.51	155.26

याचिका का विवरण आयोग की वेबसाइट [www.mperc.in](http://www.mperc.in) पर उपलब्ध है। वे व्यक्ति जो उपरोक्त याचिका से संबंधित अपने विचार/टीप/आपत्तियों/सुझाव प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे उन्हें आवश्यक अभिलेखों तथा साक्ष्यों के साथ संलग्न कर सीधे सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पांचवाँ तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5,

अरेरा कालोनी बिडन मार्केट, भोपाल 462016 को, तथा कंपनी के लिए एक प्रति कार्यपालक निदेशक (सीआरए), मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ब्लाक नं. 3, शक्ति भवन, जबलपुर-482008 के नाम प्रेषित कर सकते हैं, जो कि इस सूचना के प्रकाशन के 21 दिवस में आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाए। विचारों/आपत्तियों/सुझाव की अग्रिम प्रतिलिपियाँ आयोग को फ़ैक्स (0755-2981055) तथा ई-मेल ([secretary@mperc.nic.in](mailto:secretary@mperc.nic.in)) द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती हैं। इस हेतु शपथ पत्र लगाया जाना आवश्यक नहीं है।

इच्छुक व्यक्ति द्वारा याचिका (अंग्रेजी संस्करण) की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे के मध्य, आयोग कार्यालय से अथवा मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के जबलपुर स्थित कार्यालय से रु. 200/- की नगद राशि का भुगतान कर अथवा किसी अनुसूचित बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा, जो एम.पी.ई.आर.सी. को देय तथा भोपाल में भुगतान योग्य हो या जो क्षेत्रीय लेखाधिकारी एमपीपीटीसीएल, को देय तथा जबलपुर में भुगतान योग्य हो, प्राप्त की जा सकती है। याचिका की एक प्रति रु. 50/- डाक व्यय हेतु अतिरिक्त भुगतान कर डाक से भी प्राप्त की जा सकती है।

इस प्रकरण में जन-सुनवाई का आयोजन दिनांक **12/07/2022** को प्रातः **11:00 बजे** किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित विचार, टीप, आपत्तियाँ या सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. आयोग को भेजकर उक्त जन-सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईडलाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार  
सचिव